पत्रांक – मं०मं०–01 / मंत्रिपरिषद्–19 / 2011.......................

बिहार सरकार

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

प्रेषक,

अंजनी कुमार सिंह,
मुख्य सचिव, बिहार।

सेवा में,

सभी विभागीय प्रधान सचिव / सचिव,
बिहार, पटना।

पटना–15, दिनांक......................., 2014

विषय -- माननीय मुख्यमंत्री द्वारा विभागीय संचिका में दिए गए आदेश / निदेश से संबंधित विभागीय मंत्री को अवगत कराने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि कार्यपालिका नियामवली के नियमों के आलोक में कतिपय मामलों में मुख्य सचिव के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को विभिन्न विभागों द्वारा संचिकाएँ उपस्थापित की जाती है। इस संबंध में ऐसे कई दृष्टान्त सामने आए हैं कि कुछ विभागों की संचिका में माननीय मुख्यमंत्री के आदेश / निदेश के बाद मुख्य सचिव स्तर से संबंधित विभाग को जब संचिका वापस होती है तो, उक्त आदेश / निदेश से विभागीय मंत्री को अवगत् नहीं कराया जाता है; जिसके कारण विभागीय मंत्री को विषयवस्तु की जानकारी नहीं हो पाती है।

अतः, निदेश दिया जाता है कि जिन विभागों की संचिका माननीय मुख्यमंत्री के आदेश / निदेश के बाद मुख्य सचिव के स्तर से विभाग को वापस होती है वैसे मामलों में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दिये गये आदेश / निदेश से संबंधित संचिका में दिये गये आदेश / निदेश से विभागीय मंत्री को भी अवगत कराने के बाद ही उसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

विश्वासभाजन

ह0 / –
(अंजनी कुमार सिंह)
मुख्य सचिव, बिहार

ज्ञापांक-- मं०मं०–01 / मंत्रिपरिषद्–19 / 2011...1323.... / दिनांक– 24 अक्टूबर, 2014

प्रतिलिपि :– माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव / सचिव / सभी माननीय मंत्री के आप्त सचिव / मुख्य सचिव के आप्त सचिव / मुख्य सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी / विकास आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24.10.14
(ब्रजेश मेहरोत्रा)
सरकार के प्रधान सचिव

D:\Cab 1 Systems\old file\Srikant.doc